विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 16, सातवां सत्र, 2011/1932 (शक)]

अंक 18, गुरुवार, 17 मार्च, 2011/26 फाल्गुन, 1932 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	1
(एक) शेष बची समस्त अनुदानों की मांगों के संबंध में कटौती प्रस्ताव पेश करना	1–2
(दो) शेष बची समस्त अनुदानों की मांगें	29–30
सभा पटल पर रखे गए पत्र	2–8, 27–28
नियम 377 के अधीन मामले	18–26
(एक) कर्नाटक में औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण करने संबंधी कदम को रोके जाने की आवश्यकता	
श्री आर. ध्रुवनारायण	19
(दो) उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत के ढलानों में कथित रूप से लुप्त हुए नाभिकीय पॉवर पैक जिससे विकिरण का गंभीर खतरा है, को ढूंढने तथा उसे पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता	
श्री सतपाल महाराज	19–20
(तीन) उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले को रेल सेवा से जोड़े जाने की आवश्यकता	
डा. विनय कुमार पाण्डेय	20–21
(चार) जहीराबाद और सिकन्दराबाद होते हुए बीदर (कर्नाटक) से हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) तक एक इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता	
श्री सुरेश कुमार शेटकर	21
(पांच) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लक्षित विशेष संघटक योजना और जनजातीय उप योजना स्कीमों को उनके वर्तमान प्रारूप में लागू किए जाने की आवश्यकता	
डॉ. मन्दा जगन्नाथ	21–22
(छह) महाराष्ट्र में सूत के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने तथा हथकरघा और पावरलूम उद्योगों के लिए उसकी उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री जयवंत गंगाराम आवले	22–23
(सात) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के व्यथित किसानों के कल्याण के लिए एक पैकेज की घोषणा किए जाने की आवश्यकता	
श्री दत्ता मेघे	23

विषय	कॉलम
(आठ) उत्तर मध्य रेलवे जोन में महोबा-खजुराहो रेलवे लाइन के चेन नं. 1306 और 1307 के बीच चौकीदार युक्त रेलवे फाटक प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	24
(नौ) गुजरात को पर्याप्त मात्रा में कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस और एपीएम गैस का आबंटन किए जाने की आवश्यकता	
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	24
(दस) महाराष्ट्र के दिंडोरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाओं में वृद्धि करने तथा कामायनी एक्सप्रेस को नंदगांव, लस्लगांव और निफड रेलवे स्टेशनों पर ठहराव दिए जाने की आवश्यकता	
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	25
(ग्यारह) गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिलिया मोटा में उर्वरकों के परिवहन के लिए रेल रैकों की सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री नारनभाई कछाड़िया	25
(बारह) स्कूल पाठ्यक्रम में छत्रपति शिवाजी और वीर सावरकर विनायक दामोदर की जीवनियों को शामिल किए जाने की आवश्यकता	
श्री गजानन ध. बाबर	26
शेष बची समस्त अनुदानों की मांगों को सभा के मतदान (गिलोटीन) के लिए रखना	30–43
विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2011	43–46
विचार करने के लिए प्रस्ताव	45
खंड 2 से 4 और 1	45
पारित करने के लिए प्रस्ताव	46

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

गुरुवार, 17 मार्च, 2011/26 फाल्गुन, 1932 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

(एक) शेष बची समस्त अनुदानों की मांगों के संबंध में कटौती प्रस्ताव पेश करना

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: ''माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि बजट सत्र, 2010 के दौरान मैंने पहली बार गिलोटीन किए जाने वाले अनुदानों की मांगों के संबंध में कटौती प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति दी थी। माननीय सदस्यों को इन कटौती प्रस्तावों के निपटान के समय उत्पन्न व्यावहारिक कठिनाइयों का भी स्मरण होगा।

जैसाकि माननीय सदस्यों को विदित होगा, आज सभा में खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा होगी। शेष बचे बकाया मांगों के संबंध में गिलोटीन सायं 6 बजे किया जाएगा। बकाया मांगों पर कटौती प्रस्तावों के निपटान को सुकर बनाने के लिए मैं सभा में उपस्थित माननीय सदस्यों, जिनके अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव परिचालित किए जा चुके हैं, से अनुरोध करती हूं कि वे 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां भेज दें, जिनमें उनके द्वारा गिलोटीन के समय पेश किए जाने वाले उन कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या इंगित हो। यह भी नोट किया जाए कि केवल उन्हीं सदस्यों को गिलोटीन के समय कटौती प्रस्ताव पेश किए जाने की अनुमति दी जाएगी जिनकी पर्चियां इस घोषणा के 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हुई हों तथा केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों, जिनकी क्रम संख्या उन्होंने अपनी पर्चियों में इंगित की है, को पेश करने की अनुमति दी जाएगी।

गिलोटीन के समय जो सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं उनके कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या दर्शाने वाली एक सूची इसके तुरंत पश्चात् सूचना पट्ट पर लगाई जाएगी। यदि कोई सदस्य इसमें कोई विसंगति पाते हैं तो वो इसे तुरंत सभा पटल अधिकारियों के ध्यान में लाएं।

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों, जिन पर आज बाद में चर्चा होनी निर्धारित है, के कटौती प्रस्तावों का उल्लेख सभा पटल पर अभी भेजी जाने वाली पर्चियों में न करें। उन मांगों के संबंध में पेश किए जाने वाले कटौती प्रस्तावों के बारे में एक पृथक् घोषणा उस समय की जाएगी जब आज उन मांगों पर चर्चा होगी।''

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): मैं वर्ष 2011-2012 के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4288/15/11]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): मैं श्री मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) वर्ष 2011-2012 के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4289/15/11]

(2) वर्ष 2011-2012 के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4290/15/11]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) वर्ष 2011-2012 के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4291/15/11]

(2) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 16ख की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 408(अ) जो 11 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो पश्चिम बंगाल राज्य में ढेकलापारा चाय सम्पदा को चलाने अथवा पुनः शुरू करने की संभावनाओं की जांच करने के लिए समिति की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4292/15/11]

...(व्यवधान)

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4293/15/11]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4294/15/11]

...(व्यवधान)

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): मैं वर्ष 2011-2012 के लिए भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4295/15/11]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) वर्ष 2011-12 के लिए कृषि मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4296/15/11]

(2) वर्ष 2011-12 के लिए पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग, कृषि मंत्रालय का परिणामी बजट।

...(व्यवधान)

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4297/15/11]

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): मैं डा. अश्विनी कुमार की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नालॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नालॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2009-2010 की वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नालॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4298/15/11]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडियन वैक्सीन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंडियन वैक्सीन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4299/15/11]

(5) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लान्ट जीनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लान्ट जीनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4300/15/11]

(7) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेज एण्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेज एण्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4301/15/11]

(9) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर स्टेम सेल बायोलॉजी एण्ड रिजेनेरेटिव मेडिसीन, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फॉर स्टेम सेल बायोलॉजी एण्ड रिजेनेरेटिव मेडिसीन, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4302/15/11]

(11) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4303/15/11]

(13) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स, कल्याणी के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स, कल्याणी के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4304/15/11]

(15) (एक) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4305/15/11]

...(व्यवधान)

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4306/15/11]

(3) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) अधिसूचना संख्या एफ सं. 23/17/2009-आर एण्ड आर जो 22 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचित टैरिफ नीति के पैरा 6.4 और 6.4 (एक) के शीर्षक में संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 4307/15/11]

(दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, (अंतर-राज्यीय पारेषण प्रभार और हानि का बटवारा) विनियम, 2010 जो 31 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/44/2010-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 4308/15/11]

(तीन) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2010 जो 19 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/18/2010-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 4309/15/11]

(चार) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 जो 24 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीईआई-1/59/सीईए/ईआई में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपर्युक्त (3) की यद्ध संख्या (चार) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4310/15/11]

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल): सुषमा जी, हमारा एडजर्नमेंट मोशन है। *...(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): मैडम, उसके बाद मेरा नोटिस है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदया, मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है क्योंकि 'द हिन्दू' समाचार पत्र में आज एक विस्फोटक खबर छपी है, यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में अभूतपूर्व है। इस समाचार पत्र में इस प्रकार के समाचार कभी नहीं आते हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मैडम, यह क्या है?

अध्यक्ष महोदयाः आप बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्तः इनका बोलना बंद कराइए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः कार्यवाही-वृत्तांत में और कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्री गुरुदास दासगुप्तः हमें बोलने दीजिए। *...(व्यवधान)* आप हमारी बात सुनिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः आप बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः आप बैठ जाइए। उनको बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः आप बोलिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्तः कृपया मेरी बात सुनें। मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। *...(व्यवधान)*

महोदया, मैं यह कह रहा हूं कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसी खबर कभी भी नहीं छपी है। इस खबर में कहा गया है कि 2008 में हम अविश्वास प्रस्ताव लाए थे और उस अविश्वास प्रस्ताव में समूचे प्रतिपक्ष ने सरकार के विरुद्ध मतदान किया था। इस खबर में कहा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव को गिराने के लिए अनेक सदस्यों को 50 करोड़ से 60 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदया, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। यहां भी कुछ नाम हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयाः आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः आप उनको समाप्त करने दीजिए। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः आप बोलिए।

[अनुवाद]

कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

श्री गुरुदास दासगुप्तः महोदया, नियमों के अनुसार, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन यह बात गंभीर है क्योंकि यदि सदस्यों को विश्वास मत प्राप्त करने के लिए पैसा दिया गया तो यह लोकतंत्र की हत्या है जो घटित हुई है। मेरे पास मूल वस्तुयें भी हैं और न केवल दि हिन्दू समाचार *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयाः आप उसको नीचे रखिए।

[अनुवाद]

आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्तः यह अमरीकी दूतावास है जो वाशिंगटन में अपने आकाओं को इस बात की सूचना दे रहे हैं कि सरकार विश्वास मत जीतने वाली है। *...(व्यवधान)*

महोदया, यह एक नोट है जिसे अमरीकी दूतावास भारत सरकार के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति को भेज रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत का नियंत्रण कक्ष दिल्ली में है या वाशिंगटन में। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः कृपया आप बैठ जाए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री दासगुप्त आप इसे अब समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदया, मैं मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री सभा में आयें और इसका खण्डन करते हुये एक वक्तव्य सभा में दें। *...(व्यवधान)* यदि प्रधानमंत्री इसका खण्डन नहीं करते हैं तो उन्हें तत्काल त्यागपत्र दे देना चाहिए। *...(व्यवधान)* उन्हें पहले अवसर पर ही त्यागपत्र दे देना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: ठीक है। अब श्रीमती सुषमा स्वराज।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद।*...(व्यवधान)* इन्हें बिठाइए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: ये नेता, प्रतिपक्ष हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: मुलायम सिंह जी, आप नेता, प्रतिपक्ष के बाद बोलिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्षा जी, मेरा नोटिस है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: श्रीमती सुषमा स्वराज के भाषण के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: सुषमा जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप सब बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमती सुषमा स्वराज: आप सब नाम ले-लेकर बोल रहे थे। हमने सुना है। आप बैठ जाइए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप सब बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैडम, आप हाउस में आर्डर लाइए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कल क्या हुआ था?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। आप खड़े होंगे तो दूसरी तरफ से भी माननीय सदस्य खड़े होंगे।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: कल हमने आपकी बात सुनी थी, आज आप हमारी बात सुनिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: सुषमा जी, आप बोलिए। आपकी बात रिकार्ड में जा रही है, और कुछ रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्षा जी, पिछले तीन दिनों से हिन्दू अखबार में विकिलीक्स के माध्यम से चौंकाने वाले खुलासे दिए जा रहे हैं। लेकिन जो खुलासा आज हुआ है, वह चौंकाता नहीं है, वह दुनिया में भारत को शर्मसार करता है। *...(व्यवधान)* वह खुलासा भारत के लोकतंत्र को कलंकित करता है। *...(व्यवधान)* वह खुलासा तथाकथित ...* उस रहस्य को उजागर करता है। *...(व्यवधान)* हमारे लिए यह खुलासा नया नहीं है। *...(व्यवधान)* हमने उस समय भी प्रमाण के साथ यह आरोप सदन में रखा था। *...(व्यवधान)* मैं उस समय इस सदन की समस्या नहीं थी, दूसरे सदन में थी। आप इसी सदन में थी और स्वयं मंत्री भी थीं। *...(व्यवधान)* आपने वह दृश्य देखा होगा। हमारे तीन सांसद नोटों के बंडल लेकर सदन में आए थे और उन्होंने स्पीकर साहब से कहा था कि पैसे देकर हम लोगों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। *...(व्यवधान)* मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि ...**...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

यह कहा कि सदन में नोट लहराना अपराध है। ...*(व्यवधान)* मैं पूछना चाहती हूं कि सांसदों को नोट देना अपराध नहीं था, सदन में नोट लाना अपराध था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्षा जी, मैं कहना चाहती हूं कि आम तौर पर ऐसे अपराध रात के अंधेरे में किये जाते हैं, गुमनामी में किये जाते हैं। ...*(व्यवधान)* ऐसे अपराध, किसी को भनक न पड़े, यह सावधानी बरत कर किये जाते हैं। ...*(व्यवधान)* मगर इस सरकार के ऑपरेटर्स इतने अहंकारी और घमंडी थे कि दो-दो चैस्ट, बैग में भरे हुए पैसे ...*(व्यवधान)* अमेरिकन ऐम्बेसी के कर्मचारी को दिखाकर कह रहे थे-बता दो अपनी सरकार को, हम यह पैसे देकर सांसद खरीद रहे हैं। ...*(व्यवधान)* मैं पूछना चाहती हूं कि यह ...* का प्रदर्शन कर रहे थे या अपनी ...* का। ...*(व्यवधान)* इससे बड़ी ... नहीं हो सकती। ...*(व्यवधान)* पैसे के बैग लेकर दिखाये जायें। ...*(व्यवधान)* अध्यक्षा जी, जो विकिलीक्स है, जिसका नम्बर भी है, तारीख भी है। ...*(व्यवधान)* 17 जुलाई, 2008 को यह विकिलीक्स दी गयी और 162458 सीक्रेट के नाम से दी गयी। ...*(व्यवधान)* इसमें मंत्री का नाम है, मंत्री के सहयोगी का नाम है। ...*(व्यवधान)* मंत्री, जिनके करीबी हैं, उन नेताओं का नाम है। ...*(व्यवधान)* मैं आपसे कहना चाहती हूं कि यह सरकार उन लोगों को जो यह काम कर रहे हैं ...*(व्यवधान)* उनको पद्म-विभूषण से नवाजती है। ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, इस सरकार पर पुराने तीन महीने से लगातार चोट पर चोट हो रही है। ...*(व्यवधान)* मगर यह ऐसे हथौड़े की चोट है, जो यह सरकार नहीं सहेगी। ...*(व्यवधान)* यह सरकार शासन करने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। ...*(व्यवधान)* अब इस सरकार को एक क्षण भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। ...*(व्यवधान)* प्रधानमंत्री जी को यहां आना चाहिए और अपने इस्तीफे की घोषणा करनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* यह मेरी मांग है। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, माननीय गुरुदास दासगुप्ता जी ने जो सवाल रखा है, मैं उससे सहमत हूं, क्योंकि सरकार बचाने में मैंने भी मदद की। ...*(व्यवधान)* अब किसने क्या किया है? कहीं यह दाग हमारी पार्टी पर न आ जाये, इसलिए आप कार्य स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कीजिए। इस पर चर्चा हो जाये और सरकार की तरफ से भी स्पष्टीकरण आ जाये। अगर इतना रुपया, किसी को 10 करोड़ रुपये, किसी को 50 करोड़ रुपये सरकार बचाने में मिले हैं, जब यह साफ है, तो मैंने भी सरकार बचाने का काम किया है। ...*(व्यवधान)* अगर सरकार उन्होंने बचायी है ...*(व्यवधान)* हमने सरकार बचायी है। ...*(व्यवधान)* ऐसे में सरकार बचाने वाले सारे बदनाम हो जायेंगे। इसलिए सदन में यह साफ होना चाहिए, ...*(व्यवधान)* यह हमारी मांग है। आप गुरुदास दासगुप्ता जी के कार्य स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कीजिए और उस पर चर्चा होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* सारा कामकाज बंद करके इस पर चर्चा करानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.19 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

उपाध्यक्ष महोदय: डॉ. रामचन्द्र डोम।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप एक मिनट रुकिए।

श्री शरद यादव।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): महोदय, यह बहुत गंभीर विषय है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उनका नोटिस आया हुआ है।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव: उपाध्यक्ष जी, उनको भी बोलने का मौका दीजिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उनका नोटिस आया हुआ है, तो उनको बोलने दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: शरद यादव जी, आप बोलिए। अन्य किसी की बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री शरद यादव: महोदय, सुषमा जी ने, गुरुदास दासगुप्ता जी एवं मुलायम सिंह यादव जी ने जो सवाल उठाया है, वह गंभीर है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आप लोग बैठ जाइए। इनको बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहें।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव: महोदय, यह सवाल इतना गंभीर है कि एक बार पहले विकिलीक्स आई, अब यह दूसरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब वोट ऑफ कांफिडेंस, विश्वास प्रस्ताव आया था, तो चार या पांच एमपी नहीं, 19 एमपीज का इधर से उधर बदलाव हुआ था। *...(व्यवधान)* एक हमारा भी गया था। *...(व्यवधान)* इसमें एक बात बहुत गंभीर है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इन्होंने नोटिस दिया है। जिन लोगों ने नोटिस दिया है, उनको बुला रहा है, अन्य किसी को नहीं बुला रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव: इसमें एक सबसे गंभीर मामला यह है *...(व्यवधान)* हम नहीं चाहते हैं कि *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: केवल शरद जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी।

*...(व्यवधान)**

श्री शरद यादव: हम नहीं चाहते कि हिन्दुस्तान और अमेरिका के रिश्ते खत्म हों। *...(व्यवधान)* नारायणसामी जी, मेरी बात सुनिए। *...(व्यवधान)* यह बात ठीक नहीं है, इनको बैठाइए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: केवल शरद जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी, अन्य किसी की बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री शरद यादव: महोदय, यह बात ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकन एम्बेसी हिन्दुस्तान को चला रही है। *...(व्यवधान)* हमारा यह कहना नहीं है कि अमेरिका से आपकी दोस्ती न हो। यह जरूरी है, दोस्ती करिए। लेकिन आज विकिलिक्स से जो मामले आ रहे हैं, उनमें एक बड़ा सवाल यह आ रहा है कि *...(व्यवधान)* जो अमेरिकन एम्बेसी है *...(व्यवधान)*

सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक-एक बात जाकर अमेरिकन एम्बैसी से पूछी जाती है, जैसे वे इस देश के कोई मालिक हों। एक-एक बात वहां जाकर करते हैं। जो सांसदों की खरीद-फरोख्त हुई, उनके लोगों को बुलाकर कहते हैं कि यह सूटकेस है, इसमें पैसा भरा हुआ है। *...(व्यवधान)* यह खुलासा विकिलीक्स ने किया है। यह हम भी जानते हैं, हम सब लोग उस समय अविश्वास प्रस्ताव पर एक थे और एक रहकर आपको भारी लग रहे थे इसलिए 19 सांसद इधर से उधर गए थे। यह बात विकिलीक्स ने भी बताई है। विकिलीक्स ने लिखा है कि उन्होंने कहा है कि हम पैसे देकर पूरा बहुमत बना लेंगे और यह जो न्यूक्लियर बिल है, आश्वस्त किया कि इसे पास करा लेंगे। इसमें बड़े से बड़े लोग लगे। उस समय तो मुलायम सिंह जी की पार्टी भी आपका साथ दे रही थी। वह यहां बैठे हुए हैं। आप सारे लोगों को बदनाम करा रहे हैं। इनके लिए कह रहे थे कि हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं है। इस सदन में पैसे डाले गए, वह बात सच थी, असत्य नहीं थी। *...(व्यवधान)* आज विकिलीक्स में पूरा का पूरा और सारा का सारा जो देश में हो रहा है, उसकी पोल खोली गई है। उसका पूरा भंडाफोड़ है और वह कोई गलत नहीं है, पूरा सही है। इसलिए कि हम इसे भुगते हैं। हमारे संसद को इन्होंने अपनी ओर मिला लिया, पैसे के दम पर *...(व्यवधान)* लोकतंत्र पर इससे बड़ा हमला और डाका कभी नहीं पड़ा। हम जानते हैं कि यह जो खरीद-फरोख्त हुई है, सारा का सारा अमेरिका के कहने पर हुआ है और अमेरिकन एम्बैसी भी इस काम में लगी हुई थी। इसलिए प्रधानमंत्री जी सदन में आएं और सारी बात को बताएं कि विकिलीक्स गलत है या सही है, बताएं। हम कहना चाहते हैं कि यह सच है, दीवार पर लिखा हुआ है, 19 सांसद इधर से उधर गए, यह काम बिना लालच के नहीं हो सकता था। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव: इसलिए प्रधानमंत्री जी को इस विषय पर बयान देना चाहिए और देश की आन को, शान को बचाना चाहिए। *...(व्यवधान)* अमेरिका हमारा दोस्त हो सकता है, लेकिन वह हमारा सबसे बड़ा लार्ड माउंटबेटन नहीं है। आज पूरा देश उसको सजदा कर रहा है, उनसे पूछ-पूछ कर ये लोग काम कर

रहे हैं। यह बात देश के लिए सही नहीं है। ...*(व्यवधान)* हम कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी यहां आकर इस पर बयान दें और स्थिति स्पष्ट करें।

उपाध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात कह दी है, अब आप बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: जब तक वह यहां आकर स्थिति स्पष्ट नहीं करते, तब तक सदन चलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ...*(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय: शून्य काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है इसलिए आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

डॉ. रामचन्द्र डोम (बोलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, एक राष्ट्रीय दैनिक 'दि हिन्दू' द्वारा विकिलिक्स पेपर के आधार पर बहुत ही शर्मनाक रहस्योद्घाटन किया गया है। ...*(व्यवधान)* इस विषय को सी.पी.आई. के सम्मानित नेता श्री गुरुदास दासगुप्त, अन्य सदस्यों द्वारा पहले ही उठाया जा चुका है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में यह सबसे शर्मनाक घटना है। 22 जुलाई, 2008 को होने वाले विश्वासमत के प्रस्ताव के दौरान जो एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार से वामपंथी दल द्वरा अपना समर्थन वापस लेने के बाद लाया गया था, बहुत से माननीय सदस्यों को मतदान के लिए पैसे दिए गए। ...*(व्यवधान)* इस बात का खुलासा एक वरिष्ठ नेता, एक पूर्व मंत्री और दूसरी सभा के सदस्य द्वारा किया गया जो इस दलाली में सम्मिलित थे। ...*(व्यवधान)* उन्होंने इस मुद्दे पर अमेरिकी राजदूत से बात की थी। ...*(व्यवधान)* महोदय, यह एक शर्मनाक रहस्योद्घाटन है। यह एक आपराधिक कृत्य है और इससे संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल जांच शुरू की जानी चाहिए। ...*(व्यवधान)* हमारी मांग यह है कि प्रधानमंत्री को इस सभा को इसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए और इस विषय में नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* उन्हें पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ...*(व्यवधान)* उन्हें सभा में तत्काल आना चाहिए और इस चर्चा में शीघ्र स्पष्टीकरण देनी चाहिए कि उस समय क्या हुआ था। ...*(व्यवधान)* समूचे विपक्ष की यही मांग है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त कीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है। ...*(व्यवधान)* विकिलीक्स की कोई क्रैडिबिलिटी नहीं है। ...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष जी, मुझे भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। ...*(व्यवधान)* सच सुनने से क्यों बच रहे हो। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न 2 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.12 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2 बजे पुन: समवेत हुई।

[**श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना** *पीठासीन हुए*]

...*(व्यवधान)*

इस समय श्री अशोक अर्गल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

नियम 377 के अधीन मामले*

सभापति महोदय: अब, नियम 377 के अधीन मामले लिये जायेंगे।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: जो माननीय सदस्य अपना भाषण सभा पटल पर रखना चाहते है, वे कृपया अपनी पर्ची भेजें और ऐसा करें।

...*(व्यवधान)*

---

*सभा पटल पर रखे माने गये।

(एक) कर्नाटक में औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण करने संबंधी कदम को रोके जाने की आवश्यकता

श्री आर. ध्रुवनारायण (चामराज नगर): कर्नाटक की जमीन सोने जैसी कीमती हो जाने के कारण बहुत से बेइमान लोग यहां के सर्वोत्तम औद्योगिक भूमि की बड़े पैमाने पर खरीदारी कर रहे हैं। हाल ही में विशेष रूप से कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा औद्योगिक विकास के नाम पर भूमि के अर्जन के लिए कटु आलोचना हो रही है और इसी संदर्भ में भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन विधेयक का महत्व और अधिक बढ़ गया।

इन परिस्थितियों में सारी प्रक्रिया की समीक्षा की आवश्यकता है और विकासात्मक गतिविधियों के लिए भूमि के अर्जन की प्रक्रिया खाद्य सुरक्षा के मामलों को विधिवत मान्यता दी गई है। हाल के भारत में अप्रत्याशित विकास तथा आर्थिक चढ़ाव से विकासात्मक गतिविधियों पर वृद्धि के प्रभाव का सृजन किया है जैसे अवसंरचना, जैसे सड़क, पत्तन, विमानपत्तन, आवास आदि। इसके साथ ही विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 तथा फरवरी, 2006 के अधिसूचित नियम के कारण जमीन की खरीद के लिए अंधी दौड़ हो गई है।

कर्नाटक सरकार का प्रस्तावित केन्द्र द्वारा प्रायोजित आई.टी. निवेश क्षेत्र, (आई.टी.आई.आर.) के लिये 2100 एकड़ भूमि के अर्जन की अद्यतन पहल तथा इसके अलावा नए बंगलुरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास के लिए भी यही उपरोक्त उल्लिखित 2100 एकड़ भूमि के अधिग्रहण ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड केन्द्र और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली आई.टी.आई.आर. परियोजना के लिए राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति, दोनों के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करके उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण कर रहा है। 28 मई, 2008 को जारी आई.टी.आई.आर. परियोजना पर केन्द्र सरकार के राजपत्र अधिसूचना में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा ऐसी परियोजनाओं के लिए गैर-कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण को वरीयता दी जानी चाहिए।

बेल्लारी जिले में एकीकृत इस्पात संयंत्र लगाने के लिए 17,571 एकड़ कृषि भूमि तथा मैसूर जिले में भी 25,000 एकड़ भूमि तथा राज्य के अन्य हिस्सों में भी अधिग्रहित करने के लिए के.आई.ए.डी.बी. के पहल की भी तीव्र आलोचना हुई है।

(दो) उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत के ढलानों में कथित रूप से लुप्त हुए नाभिकीय पॉवर पैक जिससे विकिरण का गंभीर खतरा है, को ढूंढने तथा उसे पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): मैं सदन का ध्यान 1965 में अमेरिकन खुफिया एजेंसी सी.आई.ए. द्वारा गढ़वाल में हिमालय की नंदा देवी चोटी पर लुप्त हुए आणविक पैक की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने पड़ोसी देश की सेना द्वारा टेस्ट की गई मिसाइलों की जानकारी के लिए एक नाभिकीय उपकरण, जिसमें उन्होंने प्लूटोनियम 238 की नाभिकीय शक्ति का प्रयोग किया था, उसे स्थापित करने के लिए भारतीय तथा अमेरिकी पर्वतारोही दल को गढ़वाल में नंदादेवी की चोटियों पर भेजा। जहां तूफान में फंसने के कारण वह उस आणविक पैक को वहीं छोड़कर लौट गये। बाद में जब वो उसे वापिस लेने गए तो वह उसे ढूंढ़ने में सफल नहीं हुए। नाभिकीय ऊर्जा की गर्मी के कारण शायद वह पैक बर्फ को पिघलाता हुआ, नीचे चट्टानों में कहीं दब गया। इसके बाद कई बार इस लुप्त हुए नाभिकीय पैक को ढूंढ़ने के लिए कई अभियान चलाए गए परंतु आज तक इसमें कोई सफलता नहीं लगी। अब मुख्य खतरा इस बात का पैदा हो गया है कि जैसे-जैसे वह आणविक पैक धरती की गर्त में जाता जायेगा वैसे-वैसे नदियों के पानी एवं भूजल में रेडियोधर्मिता के दुष्प्रभाव का खतरा बढ़ता जायेगा। हमारी नदियों, मुख्यतः गंगा की पवित्र धाराओं में आणविक प्रदूषण का खतरा बढ़ गया है। यदि इसका एक बार प्रभाव हमारी नदियों में आ गया तो कितने व्यापक स्तर पर तबाही होगी, इसका आंकलन करना भी कठिन है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह लुप्त आणविक पैक से संभावित खतरों को देखते हुए इसकी मासिक अथवा त्रैमासिक स्तर पर जांच करवाई जाए तथा रेडियेशन के दुष्प्रभावों को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षात्मक योजना तैयार करे जिससे ऐसे किसी विकट समय में व्यापक क्षति को रोका जा सके।

(तीन) उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले को रेल सेवा से जोड़े जाने की आवश्यकता

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती): महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती की ओर दिलाना चाहता हूं। श्रावस्ती को अहिंसा के पुजारी भगवान बुद्ध की तपोस्थली होने के साथ-साथ जैन तीर्थंकर भगवान संभवनाथ की जन्मस्थली होने का भी गौरव प्राप्त है। इसके चलते यहां हर साल हजारों की संख्या में विदेशी एवं देशी पर्यटकों की आवाजाही होती है। वर्तमान में श्रावस्ती में रेल यातायात की कोई सुविधा नहीं है। यदि श्रावस्ती को रेल मार्ग से जोड़ दिया जाए तो यहां पर आने वाले विदेशी पर्यटक जो कि मुख्यतः श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया, जापान, कोरिया, आदि देशों से आते हैं, उनकी संख्या में कई गुणा बढ़ोतरी संभव है जिसके फलस्वरूप उनसे मिलने वाले राजस्व/विदेशी मुद्रा में भी बढ़ोतरी हो सकेगी एवं श्रावस्ती में लोगों को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

इसके अलावा रेलमार्ग से न जुड़े होने के कारण श्रावस्ती जिला औद्योगिकरण से पूर्णत: वंचित है जिसके चलते जिले में बेरोजगारी व्याप्त है। जरवल रोड से मिनगा-सिरसिया होते हुए तुलसीपुर तक/अथवा खलीलाबाद-बलरामपुर-श्रावस्ती-भिनगा-इकौना-गिलौला होते हुए बहराईच तक रेलवे लाइन बिछाने के प्रस्ताव पर यथाशीघ्र अमल किया जाये। रेल सेवा श्रावस्ती के पर्यटन एवं विकास में मील का पत्थर साबित हो सकती है तथा श्रावस्ती को भुगतान बुद्ध की तपोस्थली के रूप में विश्व मानचित्र पर जगह मिल सकेगी। अत: मेरी आपसे आग्रह है कि श्रावस्ती को अविलंब रेल मार्ग से जोड़ा जाए।

(चार) जहीराबाद और सिकन्दराबाद होते हुए बीदर (कर्नाटक) से हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) तक एक इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुमार शेटकर (जहीराबाद): मैं बीदर-जहीराबाद से सिकंदराबाद-हैदराबाद तक इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने की आवश्यकता के संबंध में इस सम्माननीय सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरे संसदीय चुनाव क्षेत्र का 80% भाग भौगोलिक रूप से कर्नाटक सीमा के ठीक आस-पास स्थित है और सभी लोग कृषक समुदाय से है और इन क्षेत्रों में उनके आने-जाने का एक मात्र साधन सड़क परिवहन ही है। इन्हीं मार्गों से छात्र और कर्मचारी भी प्रतिदिन यात्रा करते हैं। इन मार्गों पर बहुत भीड़ रहती है और मेरे चुनाव क्षेत्र के लोगों की बहुत दिनों से लम्बित मांग है कि इस मार्ग पर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाए जिससे यात्रा आरामदायक बन सके और इन मार्गों पर रेलवे को अच्छी राजस्व की प्राप्ति भी होगी। अत: अध्यक्षपीठ के माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री से मांग करता हूं कि वे बिदर-हैदराबाद के बीच यात्रियों के लाभ के लिए रोजाना शेष ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि में इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन चलाएं।

(पांच) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लक्षित विशेष संघटक योजना और जनजातीय उप योजना स्कीमों को उनके वर्तमान प्रारूप में लागू किए जाने की आवश्यकता

डॉ. मन्दा जगन्नाथ (नागरकुरनूल): भारत के योजना आयोग ने विशेष संघटक योजना (एससीपी) और जनजातीय उप योजना के कार्यान्वयन के अध्ययन और सिफारिशें देने के लिए एक कार्य-बल नियुक्त किया। तत्पश्चात् इस कार्य-बाल ने 25 नवम्बर, 2010 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

68 मंत्रालयों/विभागों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत करते हुए निम्नलिखित सिफारिशें की गयी हैं:-

(1) योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए कतिपय मंत्रालयों की कोई बाध्यता नहीं;

(2) अजा के लिए 15% तथा अजजा के लिए 7.5% से कम परिव्यय निर्धारित करना; और

(3) अजा के लिए 15%-16.2% के बीच और अजजा के लिए 7.5% परिव्यय निर्धारित करना।

यदि उपरोक्त सिफारिशें कार्यान्वित की जाती है:-

(1) 40-43 मंत्रालयों/विभागों को अजा और अजजा के विकास के लिए कोई प्रयास करने से छूट मिल जाएगी;

(2) 10 मंत्रालयों/विभागों की जिम्मेदारी कम हो जाएगी;

(3) केवल 9 मंत्रालयों/विभागों में यथास्थिति जारी रहेगी; और

(4) केवल 6 मंत्रालयों/विभागों की जिम्मेदारी बढ़ा दी जाएगी।

इन सिफारिशों से अंतत: दलितों और आदिवासियों जो देश की आबादी के 24.4 प्रतिशत हैं के विकास की जिम्मेदारी को पूरा करने के केन्द्र सरकार के 58.9 प्रतिशत तंत्र के बहानों को वैधानिक दर्जा मिल जाएगा। यह पूर्णत: असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है।

महोदया आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अजा और अजजा के लोगों के व्यापक हित में विशेष संघटक योजना और जनजातीय उप योजना स्कीमों को उनके वर्तमान प्रारूप में कार्यान्वित करे।

(छह) महाराष्ट्र में सूत के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने तथा हथकरघा और पावरलूम उद्योगों के लिए उसकी उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जयवंत गंगाराम आवले (लातूर): महोदय, महाराष्ट्र में प्याज का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में हो रहा है, इसके कारण प्याज का मूल्य काफी नीचे आ गया है, प्याज को निर्यात करने का सरकार का फैसला स्वागतयोग्य है। मगर महाराष्ट्र समेत संपूर्ण देश की सूत मीलों पर भारी संकट खड़ा हो गया है। किसानों के पास कपास उपलब्ध नहीं है। कपास निर्यात होने से यह संकट पैदा हुआ है जिसका फायदा किसानों को न होकर व्यापारियों को

हो रहा है, क्योंकि किसानों का सारे कपास का उत्पादन इन व्यापारियों ने एकत्र कर रखा है। यही वजह है कि सूत मालिकों से पावर लूम को पर्याप्त मात्रा में सूत नहीं मिलने से यहां के मजदूरों का रोजगार संकट में पड़ गया है। मील मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है कपास का निर्यात और इसी वजह से कपास का भाव जो रुपए 25,000/- खंडी था वो बढ़कर रुपए 58,000/- खंडी हो चुका है।

अत: सरकार से मेरी पुरजोर मांग है कि कपास का निर्यात तुरंत बंद किया जाए तथा देश की सभी मिलों में सूत की पर्याप्त मात्रा में भरपाई होना बहुत आवश्यक है। जब तक यह पूर्ति नहीं होती तब तक कपास का निर्यात बिल्कुल ठीक नहीं है तथा कपास का निर्यात बिल्कुल बंद किया जाए और मील मजदूरों को बेरोजगार होने से बचाया जाए।

(सात) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के व्यथित किसानों के कल्याण के लिए एक पैकेज की घोषणा किए जाने की आवश्यकता

श्री दत्ता मेघे (वर्धा): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार का ध्यान विदर्भ में किसानों द्वारा आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर किसानों के लिए डॉ. स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रधानमंत्री जी द्वारा 1 जुलाई, 2006 को की गई 3750 करोड़ रुपयों के पैकेज की घोषणा की तरफ दिलाना चाहता हूं। इस पैकेज में 3 वर्ष में निर्धारित सभी कार्य पूरे करने की मर्यादा निर्धारित की गई थी। लेकिन इस पैकेज का अमल ठीक तरीके से नहीं हुआ है, जिसके कारण किसानों को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाया है। यही कारण है कि महाराष्ट्र और विशेषकर विदर्भ में किसानों की आत्महत्याएं नहीं रूक पाई हैं। अभी हाल ही में कुछ महीनों में किसानों ने आत्महत्या की है। आज के विदर्भ के किसानों की हालत को देखते हुए तथा पिछले साल अति वर्षा और अति ठंड के कारण किसानों को हुए नुकसान को देखते हुए विदर्भ के किसानों के लिए नये पैकेज की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि इसके लिए कम से कम 7 हजार करोड़ रुपयों के पैकेज की जरूरत है। महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रकार का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास भेजा भी है।

पिछले साल अति वर्षा और ठंड के कारण विदर्भ के किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। इस हालत से उबरने के लिए मैंने राज्य सरकार से इस क्षेत्र को गीला अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। ऐसी स्थिति में मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि विदर्भ के लिए 7 हजार करोड़ रुपये के नये पैकेज की अतिशीघ्र घोषणा की जाये।

(आठ) उत्तर मध्य रेलवे जोन में महोबा-खजुराहो रेलवे लाइन के चेन नं. 1306 और 1307 के बीच चौकीदार युक्त रेलवे फाटक प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला (खजुराहो): उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत महोबा खजुराहो लाइन के चैन नं. 1306-1307 के बीच रेलवे क्रासिंग में फाटक नहीं है। इस चैन नं. पर एक ओर पंचायत मुख्यालय ग्राम अतरी, पथरया, डहरी, मनिया है, दूसरी ओर गोमाखुर्द, आनंदपुरा, कुदरापुरवा वम्होरी है। इन ग्रामों का पंचायत मुख्यालय रेलवे लाइन के उस तरफ होने के साथ-साथ खेती की भूमि लाइन के दूसरी तरफ है, जिससे इन सभी ग्रामों के लोगों का निरंतर आना-जाना लगा रहता है, जिस कारण अभी तक कई दुर्घटनायें हुई हैं। इस संबंध में स्थानीय ग्रामीणों ने कई बार महाप्रबंधक जोन इलाहाबाद एवं मंडल प्रबंधक झांसी को अवगत कराया है, लेकिन कार्यवाही न होने से असंतोष है।

कृपया सदन के माध्यम से अनुरोध है कि महोबा-खजुराहो लाइन के चैन नं. 1306-1307 के बीच शीघ्र रेलवे फाटक लगाया जाये जिससे हो रही दुर्घटनाओं से भविष्य में ग्रामीणों को बचाया जा सके।

(नौ) गुजरात को पर्याप्त मात्रा में कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस और एपीएम गैस का आबंटन किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त भूरेलाल समिति की सक्रिय सलाह के आधार पर गुजरात सरकार ने राज्य में अहमदाबाद में मोटर वाहनों में सीएनजी का उपयोग शुरू कर दिया है। गुजरात में सीएनजी का उपभोग तेजी से बढ़ रहा है। तथापि गुजरात में सीएनजी का मूल्य दिल्ली, मुम्बई और अन्य शहरों की तुलना में अधिक है। दिल्ली में इसकी कीमत 19 रुपए प्रति किलो के आसपास है जबकि अहमदाबाद में यह 36.62 रुपए प्रति किलो के आसपास है। दिल्ली, मुम्बई में एपीएम गैस की उपलब्धता के कारण कीमतों प्रतिस्पर्द्धात्मक है। एपीएम गैस अहमदाबाद में भी उपलब्ध है, इसलिए सीएनजी के मूल्य में 25% की कमी की जा सकती है। यह डीजल और पेट्रोल के लिए दी जा रही राजसहायता की भी बचत करेगा। चूंकि गुजरात राज्य सरकार सीएनजी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक है, उसने केन्द्र सरकार से गुजरात को पर्याप्त मात्रा में सीएनजी और एपीएम गैस आवंटित करने का अनुरोध किया है। यह गुजरात की वैध मांग है, इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह शीघ्रातिशीघ्र सीएनजी और एपीएम गैस आबंटित करे।

(दस) महाराष्ट्र के दिंडोरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाओं में वृद्धि करने तथा कामायनी एक्सप्रेस को नंदगांव, लस्लगांव और निफड रेलवे स्टेशनों पर ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

श्री हरिश्चंद्र चव्हाण (दिंडोरी): स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद से ही मनमाड-मालेगांव-धुले-नरदाना मार्ग पर रेल लाइन की मांग रही है। पिछले बजट में यह आशा की जा रही थी कि इस संबंध में कार्य शुरू हो जाएगा। महोदया, यदि इस मार्ग से होकर मुम्बई से दिल्ली तक रेलगाड़ी चलायी जाए तो 80 कि.मी. की दूरी कम होगी। साथ ही, अल्पसंख्यक तथा जनजातीय क्षेत्र के लोग भी मुम्बई से जुड़ जाएंगे जिससे इन क्षेत्रों के विकास में मदद मिलेगी। मैंने महामहिम राष्ट्रपति महोदया से भी इस संबंध में अनुरोध किया है। लोग इस परियोजना के लिए आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही, नासिक-पुणे, नासिक-सूरत रेलवे लाइन पर भी कार्य होने की आशा थी। पिछले वर्ष नासिक रेलवे स्टेशन का सुधार किया जाना था परंतु इस बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं है। निफड, नंदगांव और लासलगांव रेलवे स्टेशनों पर मूत्रालय, प्रतीक्षालय की सुविधाएं नहीं हैं। लासलगांव और निफड रेलवे स्टेशनों के साथ-साथ नंदगांव में कामायनी एक्सप्रेस के ठहराव की मांग पिछले पांच वर्षों से की जा रही है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करे।

(ग्यारह) गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिलिया मोटा में उर्वरकों के परिवहन के लिए रेल रैकों की सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली): मैं आपके माध्यम से हमारे चुनाव क्षेत्र अमरेली जिले में हो रहे किसानों की समस्या की ओर रेलवे मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अभी रेलवे मंत्रालय ने जो रैक की व्यवस्था की है वह अमरेली से 150 किलोमीटर दूर है और वह दूसरे जिले भावनगर के अंदर आता है। काफी दूर होने के कारण ट्रांसपोर्टिंग खर्च, देरी होना जैसी असुविधाओं का सामना फर्टिलाइजर कम्पनी को करना पड़ता है। अभी रैक को 150 किलोमीटर दूर रोड से लाना पड़ता है।

महोदय, हमारे अमरेली जिले में एक लिलिया मोटा नामक क्षेत्र है, जहां पर ब्रॉडगेज लाइन की सुविधा है। यदि रेलवे मंत्रालय वहां रैक की व्यवस्था करती है तो हमारे किसानों को काफी सुविधा होगी। साथ-साथ फर्टिलाइजर कम्पनी को भी फायदा होगा।

महोदय, मैं रेलवे मंत्रालय से निवेदन करना चाहूंगा कि रैक की व्यवस्था भावनगर से स्थानांतरित कर अमरेली के लिलिया मोटा स्थान में किया जाये ताकि किसानों को सुविधा हो सके।

(बारह) स्कूल पाठ्यक्रम में छत्रपति शिवाजी और वीर सावरकर विनायक दामोदर की जीवनियों को शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री गजानन ध. बाबर (मावल): महोदया, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान शिवाजी महाराज एवं विनायक दामोदर के जीवन चरित्र को भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम में शामिल किये जाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

छत्रपति शिवाजी एवं स्वतंत्रता सेनानी वीरसावरकर विनायक दामोदर जी का जन्म महाराष्ट्र राज्य की भूमि में हुआ था। इन दोनों महान देशभक्तों ने देशहित में अपना बलिदान दिया। शिवाजी महाराज ने हमेशा देशभक्ति एवं जनहित के लिए आगे बढ़ते हुए स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। देश के प्रत्येक नागरिक के दिल में उनके प्रति सम्मान एवं इजाजत है तथा उनका जीवनचरित्र हमेशा प्रेरणादायी रही है।

वीर सावरकर ने अंग्रेजों के विरुद्ध देशहित में अपना बलिदान दिया। उन्होंने कभी भी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की।

मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि इन दोनों स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन चरित्र को भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम में शामिल कराने की कृपा करेंगे, जिससे प्रत्येक छात्र को इनके देशहित में किये गये बलिदान का ज्ञान हो सके और साथ ही साथ इनसे प्रेरित होकर छात्रों के दिल में भी देशभक्ति की प्रेरणा पैदा हो सके।

[अनुवाद]

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया अपनी सीट पर वापस जाएं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री संजय निरुपम कृपया शुरू करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री संजय निरुपम के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): सभापति महोदय, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारा देश दुनिया में पहला देश है, *...(व्यवधान)* जहां विकिलीक्स पर चर्चा हो रही है। विकिलीक्स ऐसी वेब एजेंसी है, जिसे दुनिया के तमाम देशों ने रिजेक्ट कर दिया है। इसकी अपनी कोई प्रामाणिकता नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी, कोई वैरासिटी नहीं है। *...(व्यवधान)* अमरीकन एम्बेसीज हैं, उनके जो पालिटिकल मास्टर्स हैं, उन्हें जो केबल भेजे जा रहे हैं। उसकी कोई क्रेडीबिलिटी नहीं है। विपक्ष के साथियों पर मुझे तरस आता है। *...(व्यवधान)* उनके अंदर इतनी बैंकरप्ट्सी आ गई है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बगैर किसी मुद्दे के ओपोजिशन की तरफ से ये बातें खड़ी की जा रही हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय, मुझे बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि लेफ्ट फ्रंट के लोग, *...(व्यवधान)* जो कम्यूनिस्ट पार्टी के लोग हैं, उन्हें कभी भी अमरीका पर विश्वास नहीं हुआ। अमरीका से वे नफरत करते हैं, लेकिन विकिलीक्स के मामले पर ये अमरीका पर भी विश्वास दिखा रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा सायं 6 बजे पुन: समवेत होने तक स्थगित की जाती है।

अपराह्न 2.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सायं 6 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

सायं 6.00 बजे

लोक सभा सायं 6 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

सभा पटल पर रखे गए पत्र—*जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री हरीश रावत।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): मैं वर्ष 2011-2012 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, मैं कुछ कहना चाहती हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: हम पहले गिलोटिन कर लें। इस समय गिलोटिन का टाइम है।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं पांच मिनट के लिए गिलोटिन में ही कुछ कहना चाहती हूं। *...(व्यवधान)* हम वाकआउट कर जायेंगे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: क्या यह उससे संबंधित है?

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष महोदया, यह गिलोटिन से संबंधित नहीं है, सुबह के विषय से संबंधित है। *...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, हम वाक आउट करते हैं।

[अनुवाद]

सायं 6.01 बजे

इस समय श्री मुलायम सिंह यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल): महोदया, हम लोग प्रधानमंत्री की चुप्पी के खिलाफ बहिर्गमन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री चुप हैं। वे उत्तर नहीं दे रहे हैं *...(व्यवधान)* यह पूर्णत: भ्रष्ट सरकार है हम बहिर्गमन कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

सायं 6.01$^{1}/_{2}$ बजे

इस समय, श्री गुरुदास दासगुप्त और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्षा जी, सुबह जिस तरह का दृश्य सदन में उपस्थित हुआ, उससे आहत होकर मैं बोल रही हूं। सुबह 'हिन्दू' अखबार में विकिलीक्स का जो खुलासा हुआ था। *...(व्यवधान)* अब फिर वही हालत हो रही है। *...(व्यवधान)* नेता सदन और प्रधानमंत्री जी से मैं दरख्वास्त करूंगी। *...(व्यवधान)* नेता सदन से मेरी फोन पर भी बात हुई और मैंने उनसे कहा कि काश आप उस समय उपस्थित होते। हम अपनी बात कह रहे थे, हमें अपनी बात कहने देते। उन्होंने कहा कि जो सुबह हुआ, वह अच्छा नहीं हुआ। इसलिए मैं आपसे केवल इतना कहना चाह रही हूं कि जो कुछ आज विकिलीक्स के माध्यम से हिन्दू अखबार में निकला है, उससे पूरे देश का सिर शर्मसार हुआ है। उससे लोकतंत्र कलंकित हुआ है। हम यह चाहते थे कि प्रधानमंत्री उस पर बयान दें। प्रधानमंत्री जी इस समय उपस्थित हैं। मैं कहना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री जी उस पर बयान दें और बतायें। अगर वह कहते हैं कि यह गलत है, तो फिर बतायें कि वह गलत कैसे है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी का बयान उस पर नहीं आता, किसी तरह की पहल सरकार की तरफ से नहीं होती, तो फिर हम इस गिलोटिन में, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में बैठे नहीं रह सकते। मैं आपकी अनुमति से अदब के साथ कहना चाहूंगी कि सारा विपक्ष बर्हिगमन करके चला जायेगा और आप अपनी डिमांड्स पारित करते रहिए।

सायं 6.03 बजे

इस समय श्रीमती सुषमा स्वराज और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

सायं 6.03$^{1}/_{2}$ बजे

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख—*जारी*

(दो) शेष बची समस्त अनुदानों की मांगें

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण सुबह से सभा में जो स्थिति बनी हुई है उसमें खान मंत्रालय एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के संबंध में अनुदानों की मांगों पर चर्चा करना संभव नहीं हो पाया है। वित्तीय कार्यों को समय पर पूरा कराना मेरा दायित्व है।

बकाया मांगों को सभा में मतदान के लिए रखने से पहले मैं खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर श्री शेख सैदुल हक द्वारा पेश किए गए कटौती प्रस्तावों का निपटान करूंगी। तत्पश्चात्, मैं श्री पी.के. बिजू, जो बकाया मांगों पर कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं, को कटौती प्रस्ताव पेश करने के लिए बुलाऊंगी।''

मैं श्री सैदुल हक द्वारा प्रस्तुत की गई खान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 66 पर कटौती प्रस्ताव रखती हूं।

कटौती प्रस्ताव रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सायं 6.05 बजे

शेष बची समस्त अनुदानों की मांगों को सभा के मतदान (गिलोटीन) के लिए रखना

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मैं अब मंत्रालयों/विभागों से संबंधित शेष बची समस्त अनुदानों की मांगों को सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

...(व्यवधान)

सायं 6.06 बजे

इस समय, श्री एच.डी. देवगौड़ा सभा भवन से बाहर चले गए।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है कि:

''कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में निम्नलिखित मंत्रालयों/सचिवालयों से संबंधित निम्नलिखित मांग संख्या(ओं) के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये:-

(1) कृषि मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 1 से 3.

(2) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित मांग संख्या 4 और 5.

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 6 से 8.

(4) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 9.

(5) कोयला मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 10.

(6) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 11 और 12.

(7) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 13 से 15.

(8) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 16 और 17.

(9) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 18.

(10) संस्कृति मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 19.

(11) रक्षा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 20 से 27.

(12) उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 28.

(13) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 29.

(14) पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 30.

(15) वित्त मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 32, 33, 35, 36, 38 से 44.

(16) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 45.

(17) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 46 से 49.

(18) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 50 और 51.

(19) गृह मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 52 से 56 और 96 से 100.

(20) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 57.

(21) मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 58 और 59.

(22) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 60.

(23) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 61.

(24) विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 62 और 63.

(25) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 65.

(26) खान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 66.

(27) अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 67.

(28) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 68.

(29) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 69.

(30) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 70.

(31) संसदीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 71.

(32) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 72.

(33) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 73.

(34) योजना मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 74.

(35) विद्युत मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 75.

(36) लोक सभा से संबंधित मांग संख्या 77.

(37) राज्य सभा से संबंधित मांग संख्या 78.

(38) उपराष्ट्रपति सचिवालय से संबंधित मांग संख्या 80.

(39) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 81.

(40) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 85 से 87.

(41) पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 88.

(42) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 89.

(43) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित मांग संख्या 90.

(44) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 91.

(45) इस्पात मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 92.

(46) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 93.

(47) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 94.

(48) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 95.

(49) शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 101 से 103.

(50) जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 104.

(51) महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 105.

(52) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 106.

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगें–बजट (सामान्य)

मांग संख्या	मांगों के नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांगों की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4
	कृषि मंत्रालय		
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	17450,67,00,00	72,20,00,000
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	4966,14,00,000	...
3.	पशुपालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग	2021,21,00,000	16,74,00,000
	परमाणु ऊर्जा विभाग		
4.	परमाणु ऊर्जा	5636,41,00,000	3448,85,00,000
5.	न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं	8308,98,00,000	1087,40,00,000
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय		
6.	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	799,88,00,000	22,12,00,000
7.	उर्वरक विभाग	53619,46,00,000	217,54,00,000
8.	भेषज विभाग	190,50,00,000	22,50,00,000
	नागर विमानन मंत्रालय		
9.	नागर विमानन मंत्रालय	1000,92,00,000	1393,00,00,000
	कोयला मंत्रालय		
10.	कोयला मंत्रालय	468,72,00,000	30,00,00,000
	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		
11.	वाणिज्य विभाग	5584,10,00,000	930,98,00,000
12.	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	1481,01,00,000	8,00,00,000
	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
13.	डाक विभाग	13522,26,00,000	518,12,00,000

1	2	3	4
14.	दूरसंचार विभाग	8745,82,00,000	1027,96,00,000
15.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2871,21,00,000	177,40,00,000
	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		
16.	उपभोक्ता मामले विभाग	576,90,00,000	23,46,00,000
17.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	61701,68,00,000	10628,33,00,000
	कारपोरेट कार्य मंत्रालय		
18.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	199,94,00,000	39,00,00,000
	संस्कृति मंत्रालय		
19.	संस्कृति मंत्रालय	1298,00,00,000	40,00,00,000
	रक्षा मंत्रालय		
20.	रक्षा मंत्रालय	11474,57,00,000	1682,00,00,000
21.	रक्षा पेंशन	33999,75,00,000	...
22.	रक्षा सेवा-थल सेना	65962,38,00,000	...
23.	रक्षा सेवा-नौसेना	10782,25,00,000	...
24.	रक्षा सेवा-वायु सेना	16518,73,00,000	...
25.	रक्षा आयुध फैक्ट्रियां	792,88,00,000	...
26.	रक्षा सेवाएं-अनुसंधान एवं विकास	5659,26,00,000	...
27.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	69148,01,00,000
	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय		
28.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	1631,58,00,000	301,00,00,000
	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय		
29.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	1284,92,00,000	284,20,00,000
	पर्यावरण और वन मंत्रालय		
30.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	2661,29,00,000	80,68,00,000
	वित्त मंत्रालय		
32.	आर्थिक कार्य विभाग	6948,66,00,000	14683,56,00,000
33.	वित्तीय सेवा विभाग	15891,94,00,000	7814,00,00,000
35.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	89348,61,00,000	10000,00,00,000

1	2	3	4
36.	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	...	300,00,00,000
38.	व्यय विभाग	99,97,00,000	2,00,00,000
39.	पेंशन	16920,00,00,000	...
40.	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	2314,36,00,000	9,68,00,000
41.	राजस्व विभाग	13338,99,00,000	17,89,00,000
42.	प्रत्यक्ष कर	2975,85,00,000	905,70,00,000
43.	अप्रत्यक्ष कर	3250,84,00,000	127,55,00,000
44.	विनिवेश विभाग	62,63,00,000	...
	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		
45.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	514,58,00,000	95,51,00,000
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		
46.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	26912,25,00,000	1989,08,00,000
47.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)	1064,00,00,000	24,00,00,000
48.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	771,00,00,000	...
49.	एड्स नियंत्रण विभाग	1699,00,00,000	1,00,00,000
	भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय		
50.	भारी उद्योग विभाग	415,75,00,000	439,90,00,000
51.	सरकारी उद्यम विभाग	18,69,00,000	...
	गृह मंत्रालय		
52.	गृह मंत्रालय	4921,54,00,000	28,85,00,000
53.	मंत्रिमंडल	329,92,00,000	104,07,00,000
54.	पुलिस	31543,06,00,000	8464,42,00,000
55.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	1640,84,00,000	103,99,00,000
56.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	2058,29,00,000	72,00,00,000
	आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय		
57.	आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	1107,60,00,000	...

1	2	3	4
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
58.	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	60088,58,00,000	...
59.	उच्चतर शिक्षा विभाग	21912,00,00,000	...
	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय		
60.	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	2056,14,00,000	587,54,00,000
	श्रम और रोजगार मंत्रालय		
61.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	3283,62,00,000	746,00,00,000
	विधि और न्याय मंत्रालय		
62.	निर्वाचन आयोग	25,93,00,000	...
63.	विधि और न्याय	1417,28,00,000	15,02,00,000
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय		
65.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	2834,49,00,000	166,80,00,000
	खान मंत्रालय		
66.	खान मंत्रालय	614,97,00,000	39,21,00,000
	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय		
67.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	2751,00,00,000	115,00,00,000
	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय		
68.	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	1146,88,00,000	65,50,00,000
	अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय		
69.	अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	71,80,00,000	9,20,00,000
	पंचायती राज मंत्रालय		
70.	पंचायती राज मंत्रालय	5250,65,00,000	...
	संसदीय कार्य मंत्रालय		
71.	संसदीय कार्य मंत्रालय	10,48,00,000	...
	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		
72.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	675,18,00,000	69,62,00,000
	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		
73.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	23716,20,00,000	...

1	2	3	4
	योजना मंत्रालय		
74.	योजना मंत्रालय	944,39,00,000	731,61,00,000
	विद्युत मंत्रालय		
75.	विद्युत मंत्रालय	11969,52,00,000	2862,16,00,000
	राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय		
77.	लोक सभा	399,13,00,000	...
78.	राज्य सभा	223,53,00,000	...
80.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	2,99,00,000	...
	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		
81.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	19241,31,00,000	21490,00,00,000
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
85.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	2695,87,00,000	46,75,00,000
86.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	3378,50,00,000	6,50,00,000
87.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	1426,92,00,000	...
	पोत परिवहन मंत्रालय		
88.	पोत परिवहन मंत्रालय	1447,93,00,000	623,67,00,000
	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय		
89.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	5183,00,00,000	270,00,00,000
	अंतरिक्ष विभाग		
90.	अंतरिक्ष विभाग	3676,97,00,000	2948,17,00,000
	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		
91.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	2505,79,00,000	21,57,00,000
	इस्पात मंत्रालय		
92.	इस्पात मंत्रालय	116,71,00,000	1,00,00,000
	कपड़ा मंत्रालय		
93.	कपड़ा मंत्रालय	5767,48,00,000	88,27,00,000
	पर्यटन मंत्रालय		
94.	पर्यटन मंत्रालय	1166,75,00,000	4,01,00,000

1	2	3	4
	जनजाति कार्य मंत्रालय		
95.	जनजाति कार्य मंत्रालय	358,76,00,000	70,00,00,000
	शहरी विकास मंत्रालय		
101.	शहरी विकास विभाग	1232,50,00,000	5563,89,00,000
102.	लोक निर्माण कार्य	1169,20,00,000	483,24,00,000
103.	लेखन-सामग्री और मुद्रण	253,11,00,000	13,00,000
	जल संसाधन मंत्रालय		
104.	जल संसाधन मंत्रालय	1150,03,00,000	95,30,00,000
	महिला और बाल विकास मंत्रालय		
105.	महिला और बाल विकास मंत्रालय	12733,00,00,000	...
	युवा मामले और खेल मंत्रालय		
106.	युवा मामले और खेल मंत्रालय	1116,98,00,000	4,02,00,000
	जोड़ राजस्व/पूंजी	943673,68,00,000	176058,69,00,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 6.10 बजे

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2011*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2011-12 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2011-12 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रणब मुखर्जी: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

श्री प्रणब मुखर्जी: मैं प्रस्ताव करता हूं**।

"कि वित्तीय वर्ष 2011-12 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2011-12 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2, दिनांक 17.03.2011 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित और प्रस्तुत।

प्रश्न यह है:

''कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बनें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री प्रणब मुखर्जी: मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि विधेयक पारित किया जाए।''

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

''कि विधेयक पारित किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: अब सभा कल दिनांक 18 मार्च, 2011 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.12 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च, 2011/27 फाल्गुन, 1932 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।